[ 2022 ] 18 एस. सी. आर 605

भारत और अन्य का संघ

वी.

सुब्रता नाथ

( 2022 की सिविल अपील Nos.7939-7940)

नवंबर 23,2022

[ डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, सीजेआई और

हिमा कोहली जे।]

सेवा कानूनः केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नियम, 2001: आर. 32-अनुशासनात्मक अधिकारी-स्थानीय पुलिस ने एक ट्रक को रोका

बंदरगाह परिसर के बाहर तांबे के तारों से लदे और सी. आई. एस. एफ. को सूचित किया कि तांबे के तारों को कबाड़ बंदरगाह से हटा दिया गया था, उस अवधि में जब प्रतिवादी-कांस्टेबल ड्यूटी पर था।

लापरवाही और विभिन्न अपराधों के लिए प्रतिवादी को निलंबन और आरोप पत्र के तहत रखा गया-अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने सेवा से बर्खास्तगी का जुर्माना लगाया, जिसकी पुष्टि अपीलीय और पुनरीक्षण प्राधिकरण ने की-उच्च न्यायालय ने बर्खास्तगी की सजा को अनिवार्य सेवानिवृत्ति में बदल दिया-खंड पीठ ने प्रतिवादी को पूर्ण वेतन के साथ बहाल करने का निर्देश दिया और

आगे अनुशासनात्मक प्राधिकारी को प्रत्यर्थी के संबंध में उसकी लापरवाही और कर्तव्य में लापरवाही के अनुरूप सजा का एक नया आदेश जारी करने का निर्देश दिया-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः तथ्य खोजने वाले प्राधिकरण होने के नाते, दोनों अनुशासनात्मक प्राधिकरण और

अपीलीय प्राधिकरण के पास जांच रिपोर्ट के हिस्से के रूप में साक्ष्य की जांच करने की विशेष शक्ति निहित है विभागीय जांच के दौरान साक्ष्य को पर्याप्त और विश्वसनीय पाए जाने पर।

जाँच, अनुशासनात्मक प्राधिकरण के पास लागू करने का विवेकाधिकार है

दुराचार की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अपराधी कर्मचारी को उचित सजा-न्यायिक समीक्षा की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय/न्यायाधिकरण आम तौर पर लगाए गए जुर्माने के संबंध में अपने स्वयं के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए साक्ष्य की फिर से सराहना नहीं कर सकता है जब तक कि और जब तक दंड नहीं लगाया जाता है।

इस अपराध के लिए असंगत है कि यह विवेक को झकझोर देगा

– एकल न्यायाधीश के साथ-साथ खंड पीठ, दोनों ने प्रत्यर्थी पर लगाए गए सेवा से बर्खास्तगी के आदेश को दरकिनार करके गलती की, इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को दरकिनार कर दिया जाता है, जबकि अपीलीय द्वारा बरकरार अनुशासनिक प्राधिकरण का निर्णय। प्राधिकरण और पुनरीक्षण प्राधिकरण को बहाल किया जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि अदालतों को विभागीय जांच में दर्ज तथ्यों के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए, सिवाय उन परिस्थितियों के जहां ऐसे निष्कर्ष स्पष्ट रूप से विकृत हैं या बिना किसी सबूत के रिकॉर्ड पर साक्ष्य के साथ पूरी तरह से असंगत हैं। हालाँकि, यदि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया है या वैधानिक नियमों का पालन नहीं किया गया है या अनुशासनात्मक प्राधिकरण के कारण दुर्भावनाएँ हैं, तो अदालतें निश्चित रूप से हस्तक्षेप कर सकती हैं। [ पैरा 15] [615 ई]

भाग बनाने वाले साक्ष्य की जांच करने की अनन्य शक्ति जाँच रिपोर्ट। साक्ष्य को पर्याप्त और विश्वसनीय पाए जाने पर

विभागीय जांच के दौरान, अनुशासनात्मक प्राधिकरण को उचित सजा देने का विवेकाधिकार है

दुराचार की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अपराधी कर्मचारी। तथापि, न्यायिक समीक्षा की शक्तियों का प्रयोग करते हुए,

उच्च न्यायालय या उस मामले के लिए, न्यायाधिकरण सामान्य रूप से अपने स्वयं के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन नहीं कर सकता है।

अधिरोपित जुर्माने का सम्मान तब तक जब तक कि अधिरोपित दंड अपराध के लिए इतना असमान नहीं है कि यह चौंकाने वाला है। उच्च न्यायालय/न्यायाधिकरण की अंतरात्मा या अन्य कारणों से त्रुटिपूर्ण पाई जाती है। [ पैरा 22] [621-बी-डी]

1.3 एकल न्यायाधीश और खंड पीठ के दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उच्च न्यायालय के लिए कोई अच्छा कारण नहीं था

जाँच अधिकारी के समक्ष अभिलिखित साक्ष्य से संबंधित तथ्यात्मक पहलुओं के क्षेत्र में प्रवेश करना। यह स्पष्ट रूप से उन साक्ष्यों की पुनः सराहना करने का एक प्रयास था जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में निहित न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के प्रयोग में अस्वीकार्य है। एकल न्यायाधीश के साथ-साथ खंड पीठ, दोनों पर लगाए गए सेवा से बर्खास्तगी के आदेश को दरकिनार करके एक त्रुटि में पड़ गए अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा प्रत्यर्थी और अपीलीय प्राधिकरण द्वारा समर्थित। [ पैरा 28] [623-जी-एच; 624-ए]

1.4 अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा वापस किए गए निष्कर्ष और निष्कर्ष, भारत और अन्य संघ के अपीलीय संघ द्वारा विधिवत पुष्टि की गई।

सुब्रता नाथ

कर्तव्य में लापरवाही के कारण 800 किलोग्राम की चोरी हुई है। जिस स्थान पर वह अपना कर्तव्य निभा रहे थे, वहां से तांबे के तार। इसके अलावा, अभिलेखों से पता चलता है कि प्रतिवादी ने अपने द्वारा प्रदान की गई तेरह वर्षों की सेवा के दौरान अपने तरीके नहीं बदले और उसे विभिन्न अपराधों के लिए आठ दंड दिए गए, जिनमें से तीन, दंड में दो बार संचयी प्रभाव के बिना एक वर्ष के लिए दो अवसरों पर वृद्धि को रोकना और एक अवसर पर संचयी प्रभाव के बिना दो वर्ष के लिए वृद्धि को रोकना शामिल था। ऐसी परिस्थितियों में, जारी रखने की वांछनीयता

1.5 निष्कर्षों को बहाल करते हुए विवादित निर्णय को रद्द करना और अलग रखना उचित समझा जाता है और अपीलीय प्राधिकरण द्वारा समर्थित और पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा समर्थित अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा निष्कर्ष पर पहुँचा गया। प्रत्यर्थी पर लगाए गए सेवा से बर्खास्तगी का जुर्माना उसकी ओर से घोर लापरवाही और कर्तव्य में लापरवाही के अनुरूप है। [ पैरा 30] [624-ई-जी]

बी. सी. चतुर्वेदी बनाम भारत संघ और अन्य (1995) 6 एस. सी. सी. 749 [1995] 4 पूरक। एस. सी. आर. 644; उड़ीसा राज्य और अन्य बनाम। बिद्याभूषण महापात्रा ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 779 [1963] 1 सप्लीमेंट। एस. सी. आर. 648; केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और अन्य बनाम अबरार अली (2017) 4 एस. सी. सी. 507; स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर बनाम। नेमी चंद नलवाया (2011) 4 एस. सी. सी. 584: [ 2011 ] 3 एससीआर 589; अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, वी. एस. पी. और अन्य बनाम गोपराजू श्री प्रभाकर हरि बाबू (2008) 5 एससीसी

569 [ 2008 ] 3 एस. सी. आर. 1184; भारत संघ और अन्य वी. पी. गुनासेकरन (2015) 2 एस. सी. सी. 610 [2014] 13 एस. सी. आर. 1312; भारत संघ और अन्य बनाम। Ex.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

राम करण (2022) 1 एस. सी. सी. 373; भारत संघ बनाम। सरदार बहादुर (1972) 4 एससीसी 618: [ 1972 ] 2 एससीआर 218 संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[ 1995 ] 4 पूरक। एससीआर 644

संदर्भित किया गया है

पैरा 11

[ 1963 ] 1 पूरक। एससीआर 648

संदर्भित किया गया है

पैरा 12

[ 2011 ] 3 एससीआर 589

संदर्भित किया गया है

पैरा 17

[ 2008 ] 3 एससीआर 1184

संदर्भित किया गया है

पैरा 18

[ 2014 ] 13 एससीआर 1312

संदर्भित किया गया है

पैरा 19

[ 1972 ] 2 एससीआर 218

संदर्भित किया गया है

पैरा 21

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं। 7939

7940 2022 तक।

उच्च न्यायालय के 09.09.2021 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2019 के एफ. एम. ए. सं. 679 में 2019 के एफ. एम. ए. सं. 680 के साथ।

2022 की सिविल अपील No.7941-7942

रामेश्वर प्रसाद गोयल, सुश्री आकांक्षा कौल, राजन कुमार

चौरसिया, सुश्री निधि खन्ना, राघव शर्मा, अरविंद कुमार शर्मा, रंजन मुखर्जी एड. उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

हिमा कोहली, जे.

1-2 इस आदेश द्वारा हम दो अपीलों पर निर्णय लेने का प्रस्ताव करते हैं।

भारत संघ और निजी द्वारा पसंद की गई संबंधित अपीलें

2019 के एफ. एम. ए. No.679 और 2019 के एफ. एम. ए. सं. 680 में कलकत्ता में उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित 9 सितंबर, 2021 के सामान्य निर्णय और आदेश के खिलाफ प्रतिवादी।

3. सुविधा के लिए, सिविल अपील में बताए गए तथ्य

संदर्भित किया जाएगा। प्रतिवादी 26 फरवरी, 1994 को एक सिपाही के रूप में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल 1 में शामिल हुआ। 7 नवंबर, 2007 को प्रत्यर्थी को 21 से 'सी' स्थानांतरण शुल्क के लिए विस्तृत किया गया थाः 00 7 नवंबर, 2007 से 05 नवंबर तक का समयः 00 8 नवंबर, 2007 को अलिफ नगर में

स्क्रैप यार्ड कोलकाता बंदरगाह के गार्डन रीच क्षेत्र में स्थित है। अगले दिन, यानी 8 नवंबर, 2007 को स्थानीय पुलिस ने लगभग 800 किलोग्राम से लदे एक टाटा-407 ट्रक को रोक लिया। ( लगभग.) तांबे का

बंदरगाह परिसर के बाहर तार और सी. आई. एस. एफ. को उक्त घटना के बारे में सूचित किया जब उन्हें पता चला कि कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट क्षेत्र से तांबे के तार हटा दिए गए हैं। यह पता चला कि उक्त तांबे के तारों को उस अवधि में अलीफ नगर कोलकाता बंदरगाह के स्क्रैप यार्ड से हटा दिया गया था जब प्रतिवादी ड्यूटी पर था। प्रतिवादी को निलंबन और आरोप पत्र के तहत रखा गया था, 7 तारीख के ज्ञापन के माध्यम से

दिसंबर, 2007। प्रतिवादी के खिलाफ लगाए गए आरोप के दो अनुच्छेद निम्नलिखित हैं:

" चार्ज फ्रेम के लेख का बयान

नहीं। 941400817 सी. आई. एस. एफ. इकाई का स्थिर उपवर्ग

कोलकाता को हराएँ।

प्रभार का अनुच्छेद-I

सी. आई. एस. एफ. इकाई के. ओ. पी. टी. कोलकाता ("सी" कॉय) के उक्त No.941400817 सिपाही सुब्रत नाथ ने अलीफ नगर स्क्रैप यार्ड में 2100 बजे से 0500 बजे तक "सी" शिफ्ट ड्यूटी करते हुए हथियारों और गोला-बारूद के साथ लगभग 800 किलोग्राम वजन के तांबे के तार की चोरी को रोकने में विफल रहे हैं, जो उक्त संख्या 941400817 के सुरक्षा कवरेज के तहत के. ओ. पी. टी. के अलीफ नगर स्क्रैप यार्ड में तांबे के तार के अन्य बंडलों के साथ बिछाए जा रहे थे।

सिपाही सुब्रत नाथ। नं. 941400817 सिपाही सुब्रत नाथ की ओर से उपरोक्त कार्य घोर लापरवाही और कर्तव्य में लापरवाही के बराबर है।

एक अनुशासित बल का सदस्य होना।

प्रभार का अनुच्छेद-II

कि सी. आई. एस. एफ. इकाई के. ओ. पी. टी. कोलकाता के उक्त संख्या 941400817 सिपाही सुब्रत नाथ सी. आई. एस. एफ. में अपने 13 साल के प्रेषक की अवधि के दौरान स्वयं विभिन्न अपराधों में शामिल रहे हैं और

इस प्रकार उन्हें 08 (आठ) दंड दिए गए। फिर भी उन्होंने खुद को ठीक नहीं किया और एक अपरिवर्तनीय चरित्र विकसित किया है।

4. उपरोक्त आरोपों की जांच करने के लिए एक जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। जाँच के दौरान अभियोजन पक्ष के आठ गवाहों से पूछताछ की गई। हालाँकि, प्रतिवादी ने प्रस्तुत नहीं किया

अपने बचाव में कोई भी गवाह। साक्ष्य और बचाव [2022] 18 एस. सी. आर. की जांच करने के बाद।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रत्यर्थी के मामले में, जांच अधिकारी ने अभिनिर्धारित किया कि प्रत्यर्थी के खिलाफ बनाए गए दोनों आरोप विधिवत साबित हुए थे। अनुशासनात्मक प्राधिकरण

5. प्रत्यर्थी द्वारा की गई इस याचिका को खारिज करते हुए कि प्राथमिकी में 8 नवंबर, 2007 को 1530 बजे अपराध की घटना दर्ज की गई थी, जिसमें संकेत दिया गया था कि उनकी ड्यूटी के दौरान चोरी नहीं हुई थी घंटे, अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने इस प्रकार अभिनिर्धारित कियाः

" 12. उपरोक्त सभी पहलुओं को ध्यान में रखने के बाद, मेरी राय है कि अभियोजन पक्ष पुष्टि के आधार पर गवाह है

दस्तावेजी और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों द्वारा समर्थित बयानों ने स्थापित किया है, आरोप के लेख-मैंने आरोपित अधिकारी के खिलाफ साबित किया। दूसरी ओर, आरोपित अधिकारी अपने अभ्यावेदन में गलत साबित करने के लिए कोई विश्वसनीय सामग्री नहीं ला सका

प्रभार का अनुच्छेद-I। यहां तक कि वह बचाव पक्ष का कोई गवाह भी पेश नहीं कर सके। जाँच के दौरान उनके द्वारा प्रस्तुत बचाव दस्तावेज उनके पक्ष में कुछ भी साबित नहीं कर सके। उनके द्वारा प्रस्तुत एफ. आई. आर. की प्रति (रक्षा प्रदर्शनी-6), जिसमें आई. डी. 1 पर लगभग 1530 बजे अपराध की घटना दिखाई गई थी, जिसके द्वारा वह अपने कर्तव्य के दौरान होने वाले चोरी के सभी दावों का खंडन करना चाहते थे, की गहराई से जांच की गई।

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

उपरोक्त शिकायत से पता चलता है कि शिकायतकर्ता द्वारा तांबे के तार की बरामदगी 1515 बजे 08.11.2007 पर की गई थी, जबकि एफ़. आई. आर. 1530 बजे अपराध की घटना को दर्शाती है।

08.11.2007 और तांबे के तार की कुछ कुंडलियों से भरे वाहन टाटा 407 की चोरी के रूप में वर्णित अपराध और वसूली वाहन भारत और अन्य का संघ v.

सुब्रत नाथ [हिमा कोहली, जे.]

इसे अलिफ नगर केएमसी स्वीपर क्वार्टर में रखा गया था। इस प्रकार, इसका मतलब है कि चोरी से पहले तांबे के तार की बरामदगी की गई थी

हुआ, जो वास्तव में असंभव और बेतुका है। यह भी देखा गया कि एफ़. आई. आर. आई. डी. 1 पर 2200 बजे प्राप्त सूचना का समय, 1530 बजे चोरी की घटना को दर्शाती है जबकि शिकायत से पता चलता है कि उसी दिन 1515 बजे वसूली की गई थी। इन सब से पता चलता है कि वेस्ट पोर्ट पुलिस स्टेशन के संबंधित पुलिस अधिकारी द्वारा जानकारी प्राप्त करने से पहले और चोरी की घटना से पहले भी बरामदगी की गई थी। इन सभी तथ्यों को एक साथ लेते हुए यह स्पष्ट है कि एफ. आई. आर. टाटा-407 वाहन में लदे तांबे के तार की बरामदगी के तथ्य की पुष्टि करती है और

पीडब्लू1, पीडब्लू2 और पीडब्लू8 का बयान इस तथ्य की पुष्टि करता है कि जब्त वाहन को 08.11.2007 की सुबह पुलिस हिरासत में रखा गया था। उपरोक्त सभी के कुल मिलाकर यह स्थापित किया जाता है कि आरोपित अधिकारी की ड्यूटी अवधि के दौरान 07/आई. डी. 1 की रात को अलीफ नगर कबाड़ यार्ड से तांबे के तार की चोरी हुई थी और उक्त तांबे के तार को बाद में पश्चिम बंदरगाह पुलिस ने बरामद कर लिया था और पी. डब्ल्यू. 1, पी. डब्ल्यू. 2 और पी. डब्ल्यू. 8 के पश्चिम बंदरगाह पुलिस स्टेशन में आने से बहुत पहले टाटा-407 वाहन में भरी हुई उनकी हिरासत में रखा गया था। जहां तक आरोप-2 के अनुच्छेद का संबंध है, मैं पाता हूं कि पी. डब्ल्यू. 4 का बयान और रिकॉर्ड पर रखे गए दस्तावेजी साक्ष्य स्पष्ट रूप से स्थापित करते हैं कि आरोपित अधिकारी असंशोधनीय चरित्र में विकसित हो गया है जो सी. आई. एस. एफ. में अपनी 13 साल की सेवा में विभिन्न अपराधों के लिए 08 दंड देने के बाद भी अपनी हिरासत में नहीं रखा है। अभियोजन पक्ष के संस्करण और बचाव पक्ष के संस्करण पर ऊपर मूल्यांकन, चर्चा और मूल्यांकन के रूप में तथ्य और तथ्यात्मक स्थिति से, मैं पाता हूं कि जांच अधिकारी द्वारा निकाले गए निष्कर्ष सभी मामलों में निष्पक्ष, तर्कपूर्ण और न्यायिक रूप से उचित हैं। इसलिए, मैं जांच अधिकारी के निष्कर्षों से पूरी तरह सहमत हूं और आरोपित अधिकारी को अनुच्छेद का दोषी ठहराता हूं।

प्रभार-I और प्रभार का अनुच्छेद-II "।

6. उपरोक्त निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए और शक्तियों का प्रयोग करते हुए

औद्योगिक सुरक्षा बल नियम, 20012 की अनुसूची-I और नियम 32 (1) के साथ पठित नियम 32 के तहत त्रुटि, अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने प्रतिवादी पर सेवा से बर्खास्तगी का जुर्माना लगाया। अनुशासन द्वारा पारित 27 नवंबर, 2008 का संक्षिप्त आदेशअन्यथा, प्रत्यर्थी ने एक अपील को प्राथमिकता दी, जिसे खारिज कर दिया गया

फरवरी, 2009 निम्नलिखित टिप्पणियों के साथः

हॉर्ट 'सीआईएसएफ नियम, 2001' [2022] 18 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 5. मैंने द्वारा पसंद की गई अपील पर सावधानीपूर्वक विचार किया है

अपीलार्थी को अंतिम आदेश सं. वी-15014/मेजर-04/के. ओ. पी. टी./डिस्क/एस. एन./08/8271 दिनांक 27.11.08 लगभग 800 किलोग्राम वजन के तांबे के तार की चोरी को रोकने में विफलता के लिए जो बिछाया जा रहा था। अलीफ नगर कबाड़ यार्ड में तांबे के तार के अन्य बंडलों के साथ

अपीलार्थी के सुरक्षा कवरेज के तहत के. ओ. पी. टी. जब वह अलीफ नगर स्क्रैप यार्ड ड्यूटी पोस्ट पर 2100 बजे से 0500 बजे तक 'सी' शिफ्ट ड्यूटी कर रहा था।

अनुशासित बल के सदस्य से अपेक्षित रूप से उसका आचरण, उसके 13 साल की छोटी अवधि की सेवा के दौरान उसकी अपरिवर्तनीय आदतों के लिए पहले 08 (आठ) मौकों पर दंडित/दंडित किए जाने के बावजूद, अपराध की गंभीरता के अनुरूप है। अपीलार्थी ने ऐसा कोई ठोस और तार्किक कारण नहीं बताया है जिस पर विचार करने की आवश्यकता हो। अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील में रखी गई कई अन्य दलीलों में कोई योग्यता नहीं है।

6. इस प्रकार, मुझे दिनांक 27.11.2008 द्वारा पारित दंड के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए कोई कम करने वाली परिस्थितियाँ नहीं मिलती हैं। अनुशासनात्मक प्राधिकरण, अर्थात, कमांडेंट सी. आई. एस. एफ. इकाई के. ओ. पी. टी. कोलकाता। इसलिए, अपीलार्थी द्वारा दी गई दिनांकित 05.12.2008 की अपील योग्यता से रहित होने के कारण खारिज कर दी जाती है।

7. इसके बाद महानिरीक्षक, सी. आई. एस. एफ./एन. ई. एस. के कार्यालय में एन. डी. एन. द्वारा प्रस्तुत एक संशोधन याचिका, जिसने 19 मई, 2009 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप संदेह से परे साबित हुए थे; कि उन्होंने अपना बचाव करने के लिए सभी उचित अवसर प्रदान किए थे; यहां भारत और अन्य के अनुशासनात्मक संघ के संचालन में कोई प्रक्रियात्मक अनियमितताएं नहीं थीं।

सुब्रत नाथ [हिमा कोहली, जे.]

प्रत्यर्थी के मामले से निपटने में जांच अधिकारी या अनुशासनात्मक प्राधिकरण की ओर से जांच और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया गया था।

प्रत्यर्थी प्राधिकरण ने 2009 के डब्ल्यू. पी. No.14102 (डब्ल्यू) के रूप में पंजीकृत कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की। उक्त याचिका का निपटारा विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा 25 जून, 2018 के आदेश के माध्यम से किया गया था और प्रतिवादी पर लगाई गई बर्खास्तगी की सजा को अनिवार्य सेवानिवृत्ति में मुख्य रूप से इस आधार पर परिवर्तित कर दिया गया था कि अधिकारी मामले से संबंधित प्रासंगिक रिकॉर्ड और जांच के महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक, बीट बुक को संरक्षित करने में विफल रहे थे, जिसमें उस समय को दर्ज किया गया था जब प्रतिवादी ने अपने राहतकर्ता से कार्यभार संभाला था और मौके पर उपलब्ध वस्तुओं और उस समय की जांच की आवश्यकता थी जब उसने अपने उत्तराधिकारी को कार्यभार सौंपा था। यह देखते हुए कि अधिकारियों को रिट याचिका के लंबित होने को देखते हुए जांच के प्रासंगिक रिकॉर्ड बनाए रखने चाहिए थे, विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रतिवादी पर लगाई गई सेवा से बर्खास्तगी की सजा को दरकिनार कर दिया और सभी परिणामी लाभों के साथ उसे 27 नवंबर, 2008 से अनिवार्य रूप से सेवा से सेवानिवृत्त कर दिया।

9. उपरोक्त आदेश को अपीलकर्ताओं-भारत संघ द्वारा अपील के दो सेटों (2019 का एफ. एम. ए. No.679 और 2019 का एफ. एम. ए. 680) में चुनौती दी गई थी।

2019 ) , जिनका डिवीजन बेंच द्वारा निपटान किया गया था, 9 सितंबर, 2021 के विवादित फैसले के माध्यम से, जिसमें प्रतिवादी पर लगाए गए बर्खास्तगी के दंड को अनिवार्य सेवानिवृत्ति के साथ प्रतिस्थापित करने के विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय को रद्द कर दिया गया था और अलग कर दिया गया था। इसके बजाय, यह निर्देश दिया गया था कि प्रतिवादी अपनी बर्खास्तगी की तारीख से पूर्ण वेतन के साथ सेवा में बहाल होने का हकदार होगा। अनुशासनात्मक प्राधिकरण को आगे प्रत्यर्थी के संबंध में सजा का एक नया आदेश जारी करने का निर्देश दिया गया था जो बर्खास्तगी, सेवा से हटाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के दंड के अलावा उसकी लापरवाही और कर्तव्य में लापरवाही के अनुरूप होना चाहिए।

10. उपरोक्त निर्णय पर सवाल उठाते हुए, वर्तमान अपील अपीलार्थियों-भारत संघ द्वारा दायर की गई हैं। प्रतिवादी ने भी उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों से व्यथित होने के कारण विशेष अनुमति के लिए याचिकाओं को प्राथमिकता दी गई, जिसमें अनुशासनात्मक प्राधिकरण से इस याचिका पर उनकी बहाली पर सजा का एक नया आदेश जारी करने का आह्वान किया गया था कि खंड पीठ के लिए हस्तक्षेप करने का कोई अवसर नहीं था [2022] 18 एस. सी. आर.

विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के साथ जिसके द्वारा सेवा से हटाने की सजा को दरकिनार कर दिया गया था और प्रतिवादी था

11. अपीलार्थियों-भारत संघ की ओर से पेश विद्वान वकील सुश्री आकांक्षा कौल ने तर्क दिया है कि विवादित निर्णय है - इस कारण से अस्थिर कि उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी की बहाली का निर्देश देकर एक अपीलीय प्राधिकरण के रूप में कार्य किया है, जो चलता है

बी. सी. चतुर्वेदी में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के विपरीत

3 (1995) 6 एस. सी. सी. 749

4 ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 779 भारत और अन्य संघ बनाम। सुब्रत नाथ [हिमा कोहली, जे.]

इसे एक अलग शुल्क का हिस्सा बनाया जाता है, जैसा कि तत्काल मामले में किया गया था। उक्त निवेदन के समर्थन में, विद्वान वकील ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और अन्य बनाम का हवाला दिया। अबरार अली 3. 13. प्रत्यर्थी के विद्वान वकील श्री रंजन मुखर्जी द्वारा की गई एकमात्र दलील यह है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रत्यर्थी को पूर्ण वेतन के साथ बहाल करने का निर्देश दिया था, डिवीजन बेंच ने एक आदेश पारित करने में यह निर्देश देना उचित नहीं था कि अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा लापरवाही के अनुरूप एक नया आदेश पारित किया जाए और

प्रत्यर्थी की ओर से कर्तव्य में लापरवाही। इसके बजाय, अपीलकर्ताओं द्वारा की गई अपील-भारत संघ को खारिज कर दिया जाना चाहिए था

एकमुश्त किस स्थिति में, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा लगाई गई अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा को बहाल कर दिया जाता और उसे अंतिम रूप दिया जाता जिससे प्रतिवादी को अपने सेवानिवृत्ति लाभों का दावा करने का अधिकार मिल जाता।

14. हमारे विचार के लिए जो मुद्दा उठता है वह यह है कि क्या मामले के दिए गए तथ्यों में, विद्वान एकल न्यायाधीश और खंड पीठ को अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा प्रतिवादी पर लगाए गए दंड में हस्तक्षेप करना चाहिए था और अपीलीय प्राधिकरण और पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा भी इसे बरकरार रखा जाना चाहिए था।

15. यह अच्छी तरह से तय है कि अदालतों को विभागीय जांच में दर्ज तथ्यों के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए, सिवाय इसके कि

ऐसी परिस्थितियाँ जहाँ ऐसे निष्कर्ष स्पष्ट रूप से विकृत या घोर होते हैं अभिलेख पर साक्ष्य के साथ असंगत, बिना किसी साक्ष्य के।

हालाँकि, यदि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया है या वैधानिक नियमों का पालन नहीं किया गया है या अनुशासनात्मक प्राधिकरण के कारण दुर्भावनाएँ हैं, तो अदालतें निश्चित रूप से हस्तक्षेप कर सकती हैं।

16. उपरोक्त संदर्भ में, बी. सी. चतुर्वेदी (उपर्युक्त) मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की गई टिप्पणियां निम्नलिखित हैं:

" 12. न्यायिक समीक्षा किसी निर्णय की अपील नहीं है, बल्कि निर्णय लेने के तरीके की समीक्षा है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति यह सुनिश्चित करने के लिए है कि व्यक्ति को उचित व्यवहार प्राप्त हो और यह सुनिश्चित करने के लिए नहीं कि प्राधिकरण जिस निष्कर्ष पर पहुंचता है वह अदालत की नजर में आवश्यक रूप से सही है। जब किसी लोक सेवक द्वारा कदाचार के आरोपों की जांच की जाती है, तो न्यायालय/न्यायाधिकरण यह निर्धारित करने के लिए संबंधित होता है कि क्या जांच एक सक्षम अधिकारी द्वारा की गई थी या क्या प्राकृतिक न्याय के नियम हैं।

5 ( 2017 ) 4 एससीसी 507 [2022] 18 एस. सी. आर.

अनुपालन किया। चाहे निष्कर्ष या निष्कर्ष किसी साक्ष्य पर आधारित हों, जांच करने की शक्ति सौंपे गए प्राधिकरण के पास तथ्य या निष्कर्ष के निष्कर्ष तक पहुंचने का अधिकार क्षेत्र, शक्ति और अधिकार होता है। लेकिन यह निष्कर्ष कुछ बातों पर आधारित होना चाहिए

सबूत। न तो साक्ष्य अधिनियम के तकनीकी नियम और न ही उसमें परिभाषित तथ्य या साक्ष्य के प्रमाण अनुशासनात्मक मामलों पर लागू होते हैं।

आगे बढ़ रहे हैं। जब प्राधिकरण स्वीकार करता है कि साक्ष्य और निष्कर्ष से समर्थन प्राप्त होता है, तो अनुशासनात्मक प्राधिकरण को यह मानने का अधिकार है कि अपराधी अधिकारी आरोप का दोषी है। न्यायालय/न्यायाधिकरण न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति में ऐसा नहीं करता है

साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने और साक्ष्य पर अपने स्वयं के स्वतंत्र निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए अपीलीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करें। न्यायालय/न्यायाधिकरण हस्तक्षेप कर सकता है जहां प्राधिकरण ने अपराधी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही को प्राकृतिक न्याय के नियमों के साथ असंगत तरीके से या जांच के तरीके को निर्धारित करने वाले वैधानिक नियमों का उल्लंघन करते हुए या जहां अनुशासनात्मक द्वारा निष्कर्ष या निष्कर्ष पर पहुंचा गया हो।

प्राधिकरण किसी साक्ष्य पर आधारित नहीं है। यदि निष्कर्ष या निष्कर्ष ऐसा है कि कोई भी उचित व्यक्ति कभी नहीं पहुंचा है, तो न्यायालय/न्यायाधिकरण मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। निष्कर्ष या निष्कर्ष, और राहत को ढालें ताकि इसे प्रत्येक मामले के तथ्यों के लिए उपयुक्त बनाया जा सके।

13. अनुशासनात्मक प्राधिकारी तथ्यों का एकमात्र न्यायाधीश होता है। जहाँ अपील प्रस्तुत की जाती है, वहाँ अपीलीय प्राधिकारी के पास साक्ष्य या सजा की प्रकृति का पुनर्मूल्यांकन करने की व्यापक शक्ति होती है। एक अनुशासनात्मक जांच में, कानूनी साक्ष्य का सख्त प्रमाण और उस साक्ष्य पर निष्कर्ष प्रासंगिक नहीं हैं। साक्ष्य की पर्याप्तता या साक्ष्य की विश्वसनीयता को न्यायालय/न्यायाधिकरण के समक्ष प्रचार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। भारत संघ में v. एच. सी. गोयल इस न्यायालय ने पी. 728 कि यदि निष्कर्ष, अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा पहुँचाए गए साक्ष्य पर विचार करने पर, विकृत है या अभिलेख के सामने पेटेंट त्रुटि से ग्रस्त है या किसी भी साक्ष्य के आधार पर नहीं है, तो प्रमाण पत्र का एक रिट जारी किया जा सकता है।

XXX XXX XXX XXX XXX XXX

4 ) 4 एस. सी. आर. 718 भारत और अन्य संघ बनाम सुब्रत नाथ [हिमा कोहली, जे.]

18. उपरोक्त कानूनी स्थिति की समीक्षा से यह स्थापित होगा कि

अनुशासनात्मक प्राधिकारी, और अपील करने पर अपीलीय प्राधिकारी, तथ्य-खोज करने वाले अधिकारियों के पास विचार करने की विशेष शक्ति है

अनुशासन बनाए रखने की दृष्टि से साक्ष्य। वे निवेशित हैं।

उचित सजा देने के विवेकाधिकार के साथ दुराचार के परिमाण या गंभीरता को देखें। उच्च न्यायालय /

न्यायाधिकरण, न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए, नहीं कर सकता है

आम तौर पर दंड पर अपने स्वयं के निष्कर्ष को प्रतिस्थापित करें और कुछ लागू करें

अन्य दंड। यदि अनुशासन द्वारा लगाई गई सजा

उच्च न्यायालय/न्यायाधिकरण, यह राहत को उचित रूप से ढालेगा, या तो अनुशासनात्मक/अपीलीय प्राधिकरण को पुनर्विचार करने का निर्देश देना

अधिरोपित दंड, या मुकदमेबाजी को छोटा करने के लिए, यह स्वयं,

असाधारण और दुर्लभ मामले, के साथ उचित सजा अधिरोपित

इसके समर्थन में ठोस कारण "।

[ जोर दिया गया]

17. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर बनाम। नेमी चंद

इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने निम्नलिखित निर्णय दियाः

" 7. अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि अदालतें एक के रूप में कार्य नहीं करेंगी

अपीलीय न्यायालय और साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन घरेलू जाँच, और न ही इस आधार पर हस्तक्षेप कि दूसरा

अभिलेख पर सामग्री पर दृश्य संभव है। अगर पूछताछ की जाए तो

निष्पक्ष और उचित रूप से आयोजित किया गया है और निष्कर्ष आधारित हैं साक्ष्य पर, साक्ष्य की पर्याप्तता का प्रश्न या

साक्ष्य की विश्वसनीय प्रकृति के लिए आधार नहीं होगा

इसलिए, अदालतें तथ्य के निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करेंगी। विभागीय पूछताछ में अभिलिखित, सिवाय जहां ऐसी

निष्कर्ष किसी भी सबूत पर आधारित नहीं हैं या जहां वे स्पष्ट रूप से हैं

विकृत। विकृति का पता लगाने के लिए परीक्षण यह देखना है कि क्या
उचित रूप से कार्य करते हुए न्यायाधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता था
या खोज, अभिलेख पर सामग्री पर। हालांकि अदालतें करेंगी
अनुशासनात्मक मामलों में निष्कर्षों में हस्तक्षेप, यदि के सिद्धांत
प्राकृतिक न्याय या वैधानिक नियमों का उल्लंघन किया गया है या यदि
आदेश मनमाना, मनमौजी, दुर्भावनापूर्ण या आधारित पाया जाता है
बाहरी विचार। ( बी. सी. चतुर्वेदी बनाम संघ का

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारत, भारत संघ बनाम। जी. गनयुथम ', बैंक ऑफ इंडिया बनाम।

देगला सूर्यनारायण 1 0 और उच्च न्यायालय बॉम्बे बनाम। शशीकांत एस. पाटिल ")।

[ जो

र दिया गया]

18. अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, वी. एस. पी. और अन्य बनाम

इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ, गोपराजू श्री प्रभाकर हरि बाबू 1 2 ने अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा पारित सजा के आदेश की आनुपातिकता के सिद्धांत पर कई उदाहरणों का उल्लेख किया और कहा किः

" 21. एक बार जब यह पाया जाता है कि सभी प्रक्रियात्मक आवश्यकताएँ हैं

इसका अनुपालन किया जाता है, अदालतें आम तौर पर इसमें हस्तक्षेप नहीं करतीं

एक अपराधी कर्मचारी पर लगाए गए दंड की मात्रा।

केवल कुछ मामलों में ही उच्च न्यायालय इस सिद्धांत को लागू कर सकते हैं।

आनुपातिकता। यदि किसी नियोक्ता का निर्णय पाया जाता है

कानूनी मापदंडों के भीतर, क्षेत्राधिकार आम तौर पर नहीं होगा

जब कदाचार साबित हो जाए तो लागू किया जाए।

19. व्यापक मापदंडों को निर्धारित करना जिसके भीतर उच्च

न्यायालय को अनुच्छेद 226/227 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। भारत का संविधान और अनुशासनात्मक कार्यवाही से संबंधित मामले,

भारत संघ में इस न्यायालय की दो न्यायाधीश पीठ और अन्य बनाम। पी. गुनासेकरन ने इस प्रकार अभिनिर्धारित कियाः

" 12. अच्छी तरह से स्थिर स्थिति के बावजूद, यह दर्दनाक है यह ध्यान देने योग्य है कि उच्च न्यायालय ने एक के रूप में कार्य किया है

अनुशासनिक कार्यवाहियों में अपीलीय प्राधिकारी,

जाँच अधिकारी के समक्ष साक्ष्य की भी पुनः प्रशंसा करना।

अभियोग I पर निष्कर्ष को अनुशासन द्वारा स्वीकार कर लिया गया था

प्राधिकरण और केंद्र द्वारा भी अनुमोदित किया गया था

उच्च न्यायालय प्रथम के द्वितीय न्यायालय के रूप में कार्य नहीं करता है और न ही कर सकता है। अपील करें। उच्च न्यायालय, अनुच्छेदों के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए

226/227 भारत के संविधान में प्रवेश नहीं करेगा

8 ( 1995 ) 6 एस. सी. सी. 749 9 (1997) 7 एस. सी. सी. 463 1 0 (1999) 5 एस. सी. सी. 762 11 (2000) 1 एस. सी. सी. 416 12 (2008) 5 एस. सी. सी. 569 13 (2015) 2 एस. सी. सी. 610 भारत और अन्य देशों का संगठन बनाम।

सुब्रत नाथ [हिमा कोहली, जे.]साक्ष्य की सराहना। उच्च न्यायालय केवल यह देख सकता हैः

( ग) कार्यवाही के संचालन में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन होता है; ( घ) अधिकारियों ने कुछ बाहरी विचारों से खुद को एक उचित निष्कर्ष पर पहुंचने से अक्षम कर दिया है

मामले के साक्ष्य और गुण-दोष;

इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंचे; ( छ) अनुशासनात्मक प्राधिकारी गलती से स्वीकार करने में विफल रहा था

स्वीकार्य और भौतिक साक्ष्य;

( ज) अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने गलती से स्वीकार किया था

अस्वीकार्य साक्ष्य जिसने निष्कर्ष को प्रभावित किया;

( (i) तथ्य का निष्कर्ष किसी साक्ष्य पर आधारित नहीं है।

3. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत, उच्च

बोझ नहीं होगाः

( (i) साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करना।

( (ii) जांच में निष्कर्षों में हस्तक्षेप करना, यदि -

( (iv) साक्ष्य की विश्वसनीयता पर गौर करें। ( v) हस्तक्षेप करें, यदि कुछ कानूनी साक्ष्य हैं जिन पर निष्कर्ष आधारित हो सकते हैं।

( vi) तथ्य की त्रुटि को ठीक करें, चाहे वह कितनी भी गंभीर क्यों न लगे।

( vii) सजा की आनुपातिकता में तब तक जाएँ जब तक कि यह झटका न दे

उसकी अंतरात्मा "।

20. भारत संघ और अन्य में v. Ex. सिपाही राम

इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ करण 1 4 ने निम्नलिखित प्रासंगिक टिप्पणियां कीं:

" 23. कानून का मूल सिद्धांत यह है कि यह अनुशासनात्मक प्राधिकरण या अपील में अपीलीय प्राधिकरण है, जो अपराधी कर्मचारी को दी जाने वाली सजा की प्रकृति तय करता है। ऐसे कर्मचारी द्वारा किए गए कदाचार की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, अदालतों के लिए यह मान लेना खुला नहीं है और

अनुशासनात्मक प्राधिकारी का कार्य।

हड़पना

24. यहां तक कि उन मामलों में भी जहां द्वारा दी गई सजा

अनुशासनात्मक प्राधिकरण को विवेक के लिए चौंकाने वाला पाया गया है

न्यायालय, सामान्यतः अनुशासनात्मक प्राधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी को दंड अधिरोपित करने के प्रश्न पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। की मात्रा पर न्यायिक समीक्षा का दायरा

सजा उपलब्ध है लेकिन सीमित दायरे के साथ। यह तभी होता है जब लगाया गया जुर्माना कदाचार की प्रकृति के लिए आश्चर्यजनक रूप से असमान प्रतीत होता है जिसे अदालतें नापसंद करती हैं। यहाँ तक कि ऐसे मामले में, दंड आदेश को रद्द करने के बाद, यह निर्णय लेने के लिए अनुशासनात्मक/अपीलीय प्राधिकरण पर छोड़ दिया जाता है और यह अदालत के लिए नहीं है कि वह सजा की मात्रा निर्धारित करके अपने निर्णय को प्रतिस्थापित करे। हालांकि, यह केवल दुर्लभ और असाधारण मामलों में है जहां अदालत मुकदमेबाजी को छोटा करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई सजा के स्थान पर सजा की मात्रा के बारे में अपने स्वयं के विचार को प्रतिस्थापित करने के बारे में सोच सकती है।

ठोस कारण बताना "।

21. उड़ीसा राज्य और अन्य (ऊपर) में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने कहा कि यदि बर्खास्तगी का आदेश उन निष्कर्षों पर आधारित है जो प्रतिवादी के महान अपराध के प्रथम दृष्टया अपराध को स्थापित करते हैं, तो उच्च न्यायालय सजा पर पुनर्विचार करने का निर्देश नहीं दे सकता है। थोपा गया। एक बार जब दुराचार की गंभीरता स्थापित हो जाती है और

आयोजित जाँच निर्धारित नियमों के अनुरूप पाई जाती है और नियमों के तहत विचारित उचित अवसर अपराधी कर्मचारी को दिया गया है, तो लगाया गया दंड न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा के लिए खुला नहीं है। जब तक कुछ सबूत थे

इस निष्कर्ष पर पहुँचें कि अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने ऐसा किया था, इस तरह का आदेश अनुपलब्ध हो जाता है और उच्च न्यायालय को इससे पहले ही बर्दाश्त करना चाहिए

हस्तक्षेप करना। उपरोक्त विचार भारत संघ बनाम में व्यक्त किया गया है। सरदार बहादुर 1 5.

22. कानूनी स्थिति का सारांश देने के लिए, तथ्य खोजने वाले प्राधिकरण होने के नाते, अनुशासनात्मक प्राधिकरण और अपीलीय प्राधिकरण दोनों निहित हैं।

साक्ष्य का हिस्सा बनने की जांच करने की अनन्य शक्ति के साथ जाँच रिपोर्ट। साक्ष्य को पर्याप्त और विश्वसनीय पाए जाने पर

विभागीय जांच में, अनुशासनिक प्राधिकरण के पास दुराचार की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अपराधी कर्मचारी को उचित सजा देने का विवेकाधिकार है। हालांकि, न्यायिक समीक्षा की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय या उस मामले के लिए, न्यायाधिकरण सामान्य रूप से अपने स्वयं के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन नहीं कर सकता है।

अधिरोपित दंड का सम्मान तब तक जब तक कि अधिरोपित दंड अपराध के लिए इतना असमान नहीं है कि यह विवेक को झकझोर देगा।

उच्च न्यायालय/न्यायाधिकरण या अन्य कारणों से त्रुटिपूर्ण पाया जाता है, जैसा कि पी. गुनासेकरन (उपर्युक्त) में उल्लिखित है। यदि अपराधी कर्मचारी पर लगाई गई सजा ऐसी है जो उच्च न्यायालय या न्यायाधिकरण की अंतरात्मा को झकझोर देती है, तो अनुशासनात्मक/अपीलीय प्राधिकरण

लगाए गए दंड पर फिर से विचार करने का आह्वान किया। केवल असाधारण परिस्थितियों में, जिनका उल्लेख करने की आवश्यकता है, उच्च न्यायालय/न्यायाधिकरण को इसके लिए ठोस कारण प्रस्तुत करने पर स्वयं उचित सजा देने का निर्णय लेना चाहिए।

23. तत्काल मामले में उपरोक्त कानून को लागू करते हुए, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय को मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था।

अनुशासनिक प्राधिकरण द्वारा अभिलिखित तथ्य के निष्कर्ष। प्रत्यर्थी के खिलाफ लगाया गया आरोप-1 लापरवाही और कर्तव्य में लापरवाही से संबंधित है जो उसे 800 किलोग्राम तांबे की चोरी को रोकने में विफल रहने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है।

7 नवंबर, 2007 के अंत में 8 नवंबर, 2007 के शुरुआती घंटों तक ड्यूटी करते हुए उनके सुरक्षा कवच के तहत अलीफ नगर कबाड़ यार्ड में पड़े तार। अभिलेखों से पता चलता है कि अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने अभिलेख पर लाए गए पूरे साक्ष्य की बारीकी से जांच की है, जिसमें अभियोजन पक्ष के आठ गवाहों के बयान शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक ने प्रतिवादी के खिलाफ लगाए गए आरोपों की विधिवत पुष्टि की है।

इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए दस्तावेजी और परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा समर्थित है कि आरोप-I के खिलाफ साबित हुआ

उत्तरदाता। उल्लेखनीय है कि प्रत्यर्थी ने कोई बचाव नहीं किया 15 ( 1972 ) 4 एससीसी
618 [2022] 18 एस. सी. आर.

गवाह और उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज कुछ भी साबित नहीं करते थे।

उसका उपकार।

24. प्रत्यर्थी का तर्क कि उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है

उन्होंने घटना के समय का उल्लेख 15 के रूप में कियाः 30 8 नवंबर, 2007 को, जब वह ड्यूटी पर नहीं थे, अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा भी गहराई से विश्लेषण किया गया, जिसने इस तथ्य का उल्लेख किया कि पश्चिम बंदरगाह पुलिस स्टेशन द्वारा पुलिस स्टेशन के कार्यालय-प्रभारी द्वारा प्रस्तुत शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसने एक वाणिज्यिक वाहन में लदे तांबे के तार बरामद किए थे, जिसे पुलिस स्टेशन लाया गया था और पुलिस स्टेशन परिसर में रखा गया था। शिकायत में दर्ज किया गया कि शिकायतकर्ता द्वारा 15 पर तांबे के तारों की बरामदगी की गई थीः 15 8 नवंबर, 2007 को घंटे, जबकि, एफ़. आई. आर. ने प्राप्त जानकारी का समय 22 दिखायाः 00 8 नवंबर, 2007 को घंटे और चोरी की घटना का समय 15: 30 घंटे। एफ. आई. आर. में विसंगतियों को ध्यान में रखते हुए जो पी. डब्ल्यू. 1, पी. डब्ल्यू. 2 और पी. डब्ल्यू. 8 के बयानों के विपरीत थे, जिन्होंने कहा था कि चोरी की जानकारी 22 से बहुत पहले प्राप्त हुई थीः 00 8 नवंबर, 2007 को घंटे, अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने प्रतिवादी के संस्करण को अस्वीकार्य के रूप में खारिज कर दिया और यह माना कि साक्ष्य ने उचित रूप से स्थापित किया कि तांबे के तारों की चोरी 7/8 नवंबर, 2007 की दरम्यानी रात को प्रतिवादी के कर्तव्य के समय के दौरान हुई थी। तदनुसार, अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने निष्कर्ष निकाला कि प्रत्यर्थी के खिलाफ आरोप-I साबित हुआ।

25. जहां तक प्रभार-II का संबंध है, अनुशासनिक प्राधिकरण ने एस. आई./न्यूनतम के बयान को नोट किया। ए. के. दुआ (पीडब्लू-4) जो इसके प्रभारी के रूप में काम कर रहे थे इकाई के दस्तावेज़ अनुभाग और प्रतिवादी से संबंधित सेवा दस्तावेजों की प्रतियों को साबित करने के लिए बुलाया गया था और इसके माध्यम से जा रहा था

उक्त दस्तावेजी साक्ष्य में उल्लेख किया गया है कि प्रतिवादी को विभिन्न अपराधों के लिए तेरह साल की सेवा की अवधि में आठ दंड दिए गए थे, लेकिन उसने खुद में सुधार नहीं किया था। अतीत में उनके निरंतर दुराचार के साथ-साथ 800 किलोग्राम की चोरी के गंभीर अपराध को देखते हुए। तांबा तार, प्रभार-I की विषय वस्तु, अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने राय दी कि प्रत्यर्थी एक में बनाए रखने के लिए अयोग्य था

अनुशासित बल और इसलिए, उन्हें सेवा से बर्खास्त करने का निर्देश दिया।

26. हमने ऊपर उल्लेख किया है कि अनुशासन के निष्कर्ष

प्राधिकरण ने अपीलीय प्राधिकरण और पुनरीक्षण प्राधिकरण की मंजूरी के साथ बैठक की थी। हालांकि, विद्वान एकल न्यायाधीश ने सेवा से बर्खास्तगी के आदेश को पलट दिया और इसे भारत और अन्य का अनिवार्य संघ में परिवर्तित कर दिया।

सुब्रत नाथ [हिमा कोहली, जे.]

मूल अभिलेख की अनुपलब्धता के एकमात्र आधार पर सेवानिवृत्ति, विशेष रूप से, बीट बुक, बीट बुक के उद्धरण को देखते हुए जो जांच अधिकारी और के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

तथ्य यह है कि प्रत्यर्थी ने उक्त दस्तावेज़ को स्वीकार किया था। विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस तथ्य को भी नजरअंदाज कर दिया कि बीट बुक जांच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ का एकमात्र टुकड़ा नहीं था। प्रत्यर्थी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए विभाग द्वारा पेश किए गए अन्य गवाहों के बयान थे और उक्त गवाहों ने

विभाग के संस्करण की पुष्टि की। किसी भी स्तर पर, विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह नहीं देखा कि प्राकृतिक न्याय के नियमों के उल्लंघन के कारण विभागीय जांच को दूषित किया गया था या यह कि जांच वैधानिक नियमों के घोर उल्लंघन में की गई थी।

27. डिवीजन बेंच एक कदम आगे बढ़ी और आगे बढ़ी

साक्ष्य की पुनः सराहना करते हुए कहा कि यह निष्कर्ष निकालने के लिए राजी नहीं किया गया कि तांबे के तारों के 42 बंडलों वाली 800 किलोग्राम की इतनी बड़ी चोरी पलक झपकते ही हो सकती थी। यह अभिनिर्धारित करते हुए कि मूल बीट बुक को प्रस्तुत न करने के संबंध में विद्वान एकल न्यायाधीश का दृष्टिकोण अस्थिर था। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि प्रत्यर्थी के खिलाफ की गई चोरी में मिलीभगत का आरोप अनुमानित था और यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे कि इतनी बड़ी चोरी अकेले प्रत्यर्थी की कर्तव्य अवधि के दौरान हो सकती थी, फिर भी आरोप-I लापरवाही और लापरवाही से संबंधित था।

प्रत्यर्थी की ओर से कर्तव्य का पालन किया गया था। उसी समय, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा बर्खास्तगी की सजा को अनिवार्य सेवानिवृत्ति के साथ बदलने का निर्देश देने वाले आदेश को दरकिनार कर दिया गया था और प्रतिवादी को पूर्ण वेतन के साथ सेवा में बहाल करने का निर्देश दिया गया था, जबकि अनुशासनात्मक प्राधिकरण को बर्खास्तगी या सेवा से हटाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के दंड को छोड़कर, अपनी ओर से लापरवाही और कर्तव्यों में लापरवाही के अनुरूप सजा का एक नया आदेश जारी करने की स्वतंत्रता दी गई थी।

उस साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करना जो अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में निहित न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के प्रयोग में अस्वीकार्य है। भारत का संविधान। हमारी राय है कि दोनों, विद्वान एकल न्यायाधीश के साथ-साथ खंड पीठ, [2022] 18 एस. सी. आर. को दरकिनार करके एक त्रुटि में पड़ गए।

प्रत्यर्थी पर लगाए गए सेवा से बर्खास्तगी का आदेश अनुशासनात्मक प्राधिकरण और अपीलीय प्राधिकरण द्वारा समर्थित।

29. हम निष्कर्षों से पूरी तरह सहमत हैं।

प्रत्यर्थी के खिलाफ लगाए गए आरोप के अनुच्छेदों और उस पर लगाए गए दंड दोनों के संबंध में अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा वापस किया गया और निष्कर्ष पर पहुंचा गया, जिसे अपीलीय प्राधिकरण द्वारा विधिवत पुष्टि की गई और पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा बरकरार रखा गया। अनुशासित बल के सदस्य होने के नाते, प्रत्यर्थी से उम्मीद की जाती थी कि उसने अपने कर्तव्य का निर्वहन लगन से किया होगा। उसकी घोर लापरवाही और कर्तव्य में लापरवाही के परिणामस्वरूप 800 किलोग्राम की चोरी हुई है। उस स्थान से तांबे के तार जहां वह अपना कर्तव्य निभा रहे थे। इसके अलावा, अभिलेखों से पता चलता है कि प्रतिवादी ने अपने द्वारा प्रदान की गई तेरह वर्षों की सेवा के दौरान अपने तरीके नहीं बदले और उसे विभिन्न अपराधों के लिए आठ दंड दिए गए, जिनमें से तीन, दंड में दो बार संचयी प्रभाव के बिना एक वर्ष के लिए दो अवसरों पर वृद्धि को रोकना और एक अवसर पर संचयी प्रभाव के बिना दो वर्ष के लिए वृद्धि को रोकना शामिल था। ऐसी परिस्थितियों में, प्रत्यर्थी को सशस्त्र बलों में बनाए रखने की वांछनीयता निश्चित रूप से संदिग्ध है और अनुशासनात्मक प्राधिकरण से उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वह सेवा से बर्खास्तगी का जुर्माना लगाते समय उसके पिछले आचरण के संबंध में पलक झपकायेगा।

30. इसलिए, 9 सितंबर, 2021 को पारित किए गए विवादित फैसले और आदेश को रद्द करना और रद्द करना उचित समझा जाता है। कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने 2019 के एफ. एम. ए. No.679 और 2019 के एफ. एम. ए. संख्या 680 में 25 जून, 2018 का आदेश पारित किया।

2009 के डब्ल्यू. पी. No.14102 (डब्ल्यू) में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा, 27 नवंबर, 2008 के आदेश में विस्तृत अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा प्राप्त निष्कर्षों और निष्कर्ष को बहाल करते हुए, अपीलीय प्राधिकरण द्वारा विधिवत बरकरार रखा गया, 3 फरवरी, 2009 के आदेश द्वारा और समर्थन किया गया

पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा, दिनांक 19 मई, 2009 के आदेश के अनुसार। हमारे विचार में, प्रत्यर्थी पर लगाई गई सेवा से बर्खास्तगी का जुर्माना उसकी घोर लापरवाही और कर्तव्य में लापरवाही के अनुरूप है। भाग।

31. परिणामस्वरूप, भारत संघ द्वारा की गई दोनों अपीलें (अपील के लिए विशेष अनुमति याचिकाओं से उत्पन्न) सं। 3524-25 / 2022 ) अनुमति दी जाती है और अपील (सिविल) संख्या के लिए विशेष अनुमति के लिए याचिकाओं पर अपील की जाती है। 11021-22 / 2022 निजी प्रतिवादी द्वारा दायर किए गए आवेदन को खारिज कर दिया जाता है, जबकि पक्षों को अपने स्वयं के खर्च वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

अपीलों

का निपटारा किया गया।

निधि जैन और अनुराग भास्कर ( सहायकः प्रियांशु अग्रवाल, एलसीआरए)